2036/38-5-2012-58 सम/2012

प्रेषक,

[illegible]

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ: दिनाँक 21 दिसम्बर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवशेष अवधि हेतु जनपदों में अधिष्ठापित किये जाने वाले नये हैण्डपम्पों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1358/अड़तीस–5–12–58सम/12, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2012–13 में लक्षित हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर की प्रचलित कार्यवाही रोकी गयी थी। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1980/अड़तीस–5–12–58सम/12, दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 द्वारा हैण्डपम्पों के रिबोर की प्रचलित कार्यवाही पर रोक समाप्त करते हुए हैण्डपम्पों के रिबोर के अवशेष कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न जनपदों में अधिष्ठापित किये जाने वाले हैण्डपम्पों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में से अवशेष को शामिल करते हुए संलग्न सूची में उल्लिखित प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 50,000 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उपर्युक्तानुसार नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन 150 की आबादी तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मीटर की दूरी के निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए कराये जायेंगे तथा इसमें डा0 लोहिया समग्र ग्राम सहित स्थानीय आवश्यकता तथा छूटी हुई बस्तियों का भी ध्यान रखा जायेगा। उक्त 50,000 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन मानक के अनुसार जनपद के प्रभारी मा0 मंत्रीगण द्वारा अनुमोदित सूची के अनुरूप कराये जायेंगे।

4– उक्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के उपरान्त अब नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं किया जाना है तथा पूरा ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने पर केन्द्रित किया जायेगा।

5– हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य 90:10 के अनुपात में कराया जायेगा। तदनुसार उसी सीमा तक बजट एवं स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

6. [illegible] में उल्लिखित कुल 5000 हैण्डपम्पों [illegible]
[illegible] (उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0एग्रो) के पास पूर्व से ही उपलब्ध है। अवशेष हैण्डपम्पों हेतु अपेक्षित धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। नये स्वीकृत हैण्डपम्पों की दर दिनांक 13.04.2012 को आयोजित एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में अनुमोदित दर के अनुसार देय होंगे।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव

संख्या: 2036 (1)/अड़तीस-5-2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
2. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	1	2	3
1	आगरा	500	39	झांसी	400
2	अलीगढ़	800	40	कन्नौज	600
3	इलाहाबाद	1600	41	कानपुर देहात	700
4	अम्बेडकर नगर	1000	42	कानपुर नगर	1000
5	अमेठी	600	43	कासगंज	400
6	अमरोहा	800	44	कौशाम्बी	300
7	आजमगढ़	1800	45	कुशीनगर	600
8	बागपत	100	46	लखीमपुरखीरी	800
9	बहराइच	400	47	ललितपुर	100
10	बलिया	1200	48	लखनऊ	1600
11	बलरामपुर	800	49	महोबा	100
12	बाँदा	200	50	महराजगंज	400
13	बाराबंकी	1200	51	मैनपुरी	800
14	बरेली	600	52	मथुरा	200
15	बस्ती	400	53	मऊ	500
16	बिजनौर	400	54	मेरठ	600
17	बदायूं	800	55	मिर्जापुर	700
18	बुलन्दशहर	400	56	मुरादाबाद	700
19	चन्दौली	300	57	मुजफ्फरनगर	400
20	चित्रकूट	200	58	औरैया	700
21	देवरिया	1000	59	पीलीभीत	600
22	एटा	800	60	प्रतापगढ़	1000
23	इटावा	600	61	रायबरेली	1000
24	फैजाबाद	800	62	रामपुर	500
25	फर्रुखाबाद	600	63	सहारनपुर	200
26	फतेहपुर	900	64	सम्भल	1000
27	फिरोजाबाद	800	65	संत कबीर नगर	400
28	गौतमबुद्ध नगर	100	66	संत रविदास नगर	700
29	गाजियाबाद	200	67	शाहजहाँपुर	700
30	गाजीपुर	1400	68	शामली	200
31	गोण्डा	1200	69	श्रावस्ती	400
32	गोरखपुर	300	70	सिद्धार्थनगर	600
33	हमीरपुर	100	71	सीतापुर	1400
34	हापुड़	400	72	सोनभद्र	600
35	हरदोई	1100	73	सुलतानपुर	1200
36	हाथरस	300	74	उन्नाव	1000
37	जालौन	300	75	वाराणसी	500
38	जौनपुर	1400		कुल	50000

S.K.Pathak

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।